

वर्षीष: UPSC: सवलल सेवा कैंडर पॉलसी में बदलाव का प्रस्ताव

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

हाल ही में 17 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को एक पत्र लखकर फाउंडेशन कोर्स में मलि नंबरों के आधार पर चयनति आवेदकों को कैंडर देने का सुझाव दया है। अर्थात् IAS और IPS सरीखी प्रतषिठति सवलल सेवाओं हेतु UPSC परीक्षा में चुने जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों के कैंडर और सर्वसि क्षेत्र का आधार UPSC परीक्षा में मलि रैंकिग पर नहीं, बलकतिन महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद मलि अंकों के आधार पर तय कया जाना चाहयि। अब कार्मकि मंत्रालय ने पत्र लखकर सभी कैंडर-नयित्रण प्राधकिरणों और मंत्रालयों से इस पर सुझाव मांगा है।

क्या है सवलल सेवा परीक्षा?

देश की सर्वाधकि प्रतषिठति और चुनौतीपूर्ण परीक्षा मानी जाती है संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा ली जाने वाली सवलल सेवा परीक्षा। यह परीक्षा देश की सबसे कठनि परीक्षाओं में से एक है। भारतीय प्रशासनकि सेवा (IAS), भारतीय वदिश सेवा (IFS) और भारतीय पुलसि सेवा (IPS) सहति 24 शीर्ष सेवाओं हेतु अधकिारियों के चयन के लयि UPSC हर साल तीन चरणों (प्रारंभकि, मुख्य एवं साक्षात्कार) वाली सवलल सेवा परीक्षा आयोजति करता है। देशभर के वभिनिन केंद्रों पर हर साल लाखों परीक्षार्थी सवलल सेवा प्रारंभकि परीक्षा में शामिल होते हैं।

अभी क्या है व्यवस्था?

- फलिहाल जो व्यवस्था है उसके तहत UPSC की त्रसितरीय (प्री, मेंस और इंटरव्यू) परीक्षा में कुल प्राप्ताकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को IAS, IPS, IFS, IRS या अन्य कैंडर आवंटति होते हैं।
- इस परीक्षा में चुने जाने के बाद सभी चयनति अभ्यर्थियों को तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है।
- यह कोर्स लाल बहादुर शास्त्री अकादमी तथा अन्य संस्थानों में करना होता है।
- इस फाउंडेशन कोर्स के शुरू होने से पहले ही सभी सफल अभ्यर्थियों का कैंडर और सेवा क्षेत्र तय कर दया जाता है।
- कैंडर और सेवा क्षेत्र का यह चयन अभ्यर्थी इस परीक्षा के लयि आवेदन करते समय ही तय करते हैं और अपनी वरीयता के आधार पर इन्हें क्रम देते हैं।

क्या है सरकार का प्रस्ताव?

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो सुझाव दया है उसके तहत फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्राप्ता अंकों के आधार पर चयनति अभ्यर्थियों को कैंडर देने की बात कही जा रही है।
- UPSC की सवलल सेवा परीक्षा में ज़यादा अंक लाने या टॉप करने के बावजूद यह नश्चति नहीं होगा किकोई IAS या IPS बनेगा, बलकफाउंडेशन कोर्स में मलि अंकों के आधार पर कैंडर दया जाएगा।
- इसके पीछे सरकार की सोच यह है किकेक बार UPSC की सवलल सेवा परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स यानी ट्रेनिग को गंभीरता से नहीं लेता।
- यदफाउंडेशन कोर्स में कोई चयनति अभ्यर्थी असफल भी हो जाए तो उसे पुनः अवसर मलित है।
- कई बार ऐसे अभ्यर्थी अपनी रैंक सुधारने के लयि फाउंडेशन कोर्स में शामिल ही नहीं होते और इसकी वज़ह से उनकी बौद्धकि और कार्यशीलता की गुणवत्ता प्रभावति होती है।
- अब जो नई व्यवस्था प्रस्तावति की गई है उसमें चयनति अभ्यर्थियों का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा और उनके मुताबकि कैंडर तथा सेवा दी जा सकेगी।

प्रस्ताव के पक्ष में तर्क

- यह सवाल पहले भी उठता रहा है कभारत सरकार की धुरी जैसी भूमकि नभाने वाली इन अतिमहत्त्वपूर्ण सेवाओं के लयि व्यक्तियों के मूल्यांकन में एक परीक्षा वर्षीष में एक बार कयि गए प्रदर्शन को इतना महत्त्व कर्यो दया जाना चाहयि।
- यह तर्क भी दया जाता है किकैंडर, सेवा आदकि आवंटन पहले ही हो जाने से फाउंडेशन कोर्स का महत्त्व एक औपचारकिता मात्र रह जाता है।
- इस फाउंडेशन कोर्स का एक अच्छा ढाँचा बनाकर तीन महीने की इस अवधकिे दौरान प्रशकिषु अधकिारियों के व्यक्तित्व के अहम पहलुओं का ज़यादा सटीक मूल्यांकन कया जा सकता है।
- वभिनिन क्षेत्रों में उनका कौशल और कार्यक्षमता देखकर यह जाना जा सकता है किकौन कसि कैंडर या सेवा के अनुरूप होगा।

प्रस्ताव के वरिध में तरक

भाषागत कठिनाई: सरकार के इस प्रस्ताव की आलोचना करने वालों का कहना है कलिंबे समय से चली आ रही इस वशि्वसनीय परीक्षा में कसिी भी स्तर पर परिवर्तन करने से पहले इसके सभी पहलुओं पर वचिार कथिा जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे-चयनति अभ्यर्थथिों का फाउंडेशन कोर्स अंगरेज़ी में होता है। ऐसे में हर्दिी या कसिी कषेत्रीय भाषा से चयनति आवेदकों के सामने मुशकलि पेश आ सकती है। उनको IAS या IPS कैडर मलिना मुशकलि हो जाएगा, क्योकवै UPSC की परीक्षा अपनी कषेत्रीय भाषाओं में देकर सफल हुए होते हैं।

एक अनुमान के अनुसार प्रशकषण संसथान के डायरेक्टर के पद पर बैठे लोगों के पास प्रैक्टिकलि के नाम पर कुल 400 नंबर तक देने का अधिकार होता है और इनका UPSC से कोई लेना-देना नहीं होता। UPSC की परीक्षा के लथि जब एक-एक नंबर के लथि मारामारी होती है तो प्रैक्टिकलि के नाम पर इतने नंबर कुछ चुने हुए लोगों के पास होना कहीं-न-कहीं पारदर्शतिा पर सवाल खड़ा करता है।

पारदर्शतिा सर्वाधकि महत्त्वपूर्ण है

इस प्रक्रथिा के साथ पक्षपात की एक ठोस आशंका भी जुड़ी है, जसिकी अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रीलमिंस, मेन और इंटरव्यू के तीन कठनि स्तरों को पार कर आने वाले चयनति अभ्यर्थथिों को यदभिनचाहे कैडर और सेवा के लथि फाउंडेशन कोर्स के दौरान या उसके बाद एक और परीक्षा से गुजरना पड़े तो हर हाल में यह सुनश्चिति कथिा जाना चाहथि कथि यह प्रक्रथिा न केवल पूर्व तीनों चरणों जतिनी ही पारदर्शी हो, बल्कहि हर प्रतभिागी को यह ऐसी दखिाई भी दे।

सरकार की सभी योजनाएँ तथा कार्यक्रम प्रशासनकि अधिकारथिों के बल पर ही कामयाब हो पाते हैं। अगर वे अपना कर्तव्य नभिाने में लापरवाही बरतते हैं तो योजनाएँ चाहे जतिनी दूरगामी हों, असफल हो जाती हैं। इसलथि अपेक्षा की जाती है कि प्रशासनकि अधिकारी जनता से नकिटता बनाएँ, उसकी ज़रूरतों को समझें और स्थितथिों के अनुरूप कदम बढ़ाएँ। बेशक इन उद्देश्यों की पूर्तति के लथि ऐसे नीतनरिमाताओं की आवश्यकता है, जो बदलते भारत की ज़रूरतों से वाकफि हों।

सविलि सेवाओं के लथि चयन का अधिकार संवधिान के तहत केवल यूपीएससी को दथिा गया है, इसलथि इससे बाहर जाकर नथुकृत्थिा करना लोकतांत्रकि मूल्यों पर तो आघात होगा ही, साथ ही इस परीक्षा से जुड़ी मेरटि आधारति, राजनीतकि रूप से तटस्थ सविलि सेवा के उद्देश्य को भी कषति पहुँचेगी।

अब सरकार ने जो परिवर्तन प्रस्तावति कथिे हैं उनके तहत चयन प्रक्रथिा को राजनीतकि हस्तक्षेप से मुक्त रखना सर्वोपरि होगा, जो हमारे देश में प्रायः देखने को नहीं मलिता।

(टीम दृष्टि इनपुट)

इस मुद्दे पर बनी सुरेंद्र नाथ समति तथा अलघ समति ने सफिराशि की थी कि सविलि सेवा में आने के बाद 40 वर्ष की आयु होने पर सभी को यह अवसर दथिा जाना चाहथि कथि कसिी कषेत्र वशिष का चुनाव कर सकें जसमें उनकी रुचि है। इससे अपनी सेवा के शेष बचे 20 वर्षों में वे दक्षतापूर्वक अपनी सेवाएँ पसंदीदा कषेत्र में दे सकेंगे।

प्रस्ताव के वरिध में तरक

- देश में UPSC द्वारा ली जाने वाली इस परीक्षा पर लोगों को वशिवास है और आज तक ऐसा एक भी मौका नहीं आया है, जब कसिी ने इसकी वशि्वसनीयता पर प्रश्नचहिन लगाया हो।
- इस कठनि परीक्षा के तीन चरणों से गुजरने के बाद सफल अभ्यर्थी को अपनी पसंद की सेवा चुनने का जो अधिकार है, उसे छीना नहीं जाना चाहथि।
- यदफाउंडेशन कोर्स के बाद चयनति अभ्यर्थथिों को कैडर देने की बात मान ली जाती है तो यह सविलि सेवाओं का केंद्रीयकरण करने जैसा होगा और इस प्रतषिठति परीक्षा का अवमूल्यन करने वाला भी।
- ऐसा करना स्पष्ट तौर पर संवधिान की अनदेखी करना होगा और इससे लोकतंत्र की मूल भावना आहत होगी और इस परीक्षा के प्रतषिठति सम्मान लोगों के मन में है वह भी कम होगा।
- सुधारों के नाम पर UPSC जैसी प्रतषिठति संवैधानकि संस्था द्वारा ली जाने वाली सविलि सेवा परीक्षा में नेताओं की सफिराशियों के आधार पर मनचाही नथुकृत्थिा को बढ़ावा मलिगा।
- प्रत्येक वर्ष कम होती जा रही नथुकृत्थिा की संख्या और बेरोज़गारी की उच्च दर के मद्देनज़र यह प्रस्ताव असमानता को बढ़ाने वाला और योग्य युवाओं को हतोत्साहति करने वाला होगा।
- तीन महीने का फाउंडेशन कोर्स कसिी एक स्थान पर नहीं होता; और अलग-अलग स्थानों पर मलिे अंकों का मलिान करने में पक्षपात होने की संभावना हो सकती है।
- भारत की सविलि सेवा एक स्टील फ्रेम की तरह है, जसि पर मौसम अदकि प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार सविलि सेवाओं पर भी राजनीतिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे जस-की-तस बनी रहती हैं, चाहे सरकार कसिी भी पार्टी की हो।

अनुच्छेद 320 कथिा कहता है?

संवधिान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लथि लोक सेवा आयोग, सदस्यों की नथुकृत्थिा और पदावधि, लोक सेवा आयोग के कसिी सदस्य को हटाना या नलिंबति करना, आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों से जुड़े वनिथिम, लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्यों का वसितार आदिकी जानकारी दी गई है।

इनमें से अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वविरण इस प्रकार दिया गया है:

- संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कवि क्रमशः संघ और राज्य की सेवाओं में नयुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करें।
- यदा संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कविह ऐसी कनिही सेवाओं के लिये, जनिके लिये वशिष अरहताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षति हैं, संयुक्त भरती की योजनाएँ बनाने और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे।

(टीम दृष्टि इनपुट)

लेटरल एंट्री हो सकता है एक बेहतर विकल्प

कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ कसिी क्षेत्र वशिष में दक्ष अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे-पर्यावरण, वजिज्ञान या वक्ति। ऐसे पदों पर नयुक्तियों के लिये पछिले वर्ष सरकार ने कैंडर-नयित्तरक प्राधकिरण से सविलि सेवाओं में सचवि स्तर पर लेटरल एंट्री के ज़रयि नयुक्तियों के संदर्भ में प्रस्ताव पत्र तैयार करने को कहा था। इसके तहत सरकार का वचिार था कनिजिी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों को लेटरल एंट्री के ज़रयि वभिनिन वभिगों में उपसचवि, नदिशक और संयुक्त सचवि रैंक के पदों पर नयुक्त किया जाए।

कसिी नजिी नकिय में वर्षों तक कसिी क्षेत्र वशिष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकारी प्रमुखों को लेटरल एंट्री के ज़रयि सचवि स्तर के सविलि सेवक का पद देना प्रशासन को प्रभावी बनाने में महत्त्वपूर्ण साबति हो सकता है। इससे नीत-निरिमाण और प्रभावी प्रशासन के लिये वशिष कौशल और अनुभव प्राप्त लोगों को नयुक्त किया जा सकता है।

लेटरल एंट्री के मुद्दे पर द्वितीय प्रशासनिक आयोग तथा बासवान समिति की रिपोर्ट

- 2005 में गठति द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिये एक सकरयि, प्रतकिरयिशील, जवाबदेह, संधारणीय और कुशल प्रशासन सुनशिचति करने के उद्देश्य से सुझाव देने की ज़मिमेदारी दी गई थी।
- इस आयोग ने कैंदर और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिये एक संस्थागत, पारदर्शी प्रक्रयि स्थापति करने की बात कही थी।

इसके अलावा 2016 में गठति बासवान समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कलिगभग सभी बड़े राज्यों में IAS अधिकारियों की कमी है और राज्य प्रतनियुक्तियों के तौर पर अधिकारियों को कैंदर में भेजे जाने के भी इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिये लेटरल एंट्री पर वचिार किया जा सकता है।

नषिकरष: सविलि सेवा देश की सर्वाधकि प्रतषिठति व सम्मानति सेवा के रूप में जानी जाती है और शायद यही एक कारण है किरोजगार के अन्य विकल्पों के बावजूद इस परीक्षा की ओर हाल के वर्षों में इंजीनयिरगि, मेडकिल और मैनेजमेंट पृष्ठभूमि के युवाओं का रुझान बढ़ा है। इसके पीछे इन सेवाओं में मलिते वाला वेतन या अन्य सुवधिएं ही एकमात्र कारण नहीं हैं, बल्कि इस सेवा के ज़रयि नेतृत्व करने, सामाजिक प्रतषिठा और देश की सामान्य जनता से सीधे जुड़ने जैसे अवसर भी मलिते हैं।

हर साल UPSC के ज़रयि चुने जा रहे IAS, IPS, IFS और अन्य सेवाओं के हजारों अभ्यर्थियों के लिये उपरोक्त बदलाव (यदा होता है तो) परेशान करने वाला हो सकता है। सरकार जसि कैंडर आवंटन पॉलिसी का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर जानकारों की राय बंटी हुई है। कुछ का कहना है कयिह कोई बुरा वचिार नहीं है, जबकि कुछ का मानना है कयिइससे सेवाओं के आवंटन में पक्षपात होगा और भाई-भतीजावाद बढ़ जाएगा। यह भी आशंका जताई जा रही है कयिऐसा करके सरकार अपने पसंदीदा सफल अभ्यर्थियों को अपनी मनपसंद जगह पर तैनात करने का प्रयास कर सकती है, जसिसे इस सेवा में राजनीतजिजों का हस्तक्षेप होने लगेगा। ऐसे में कसिी भी सुधार की ओर कदम बढ़ाने से पहले उसके सभी गुण-दोषों पर वचिार कर लेना ज़रूरी है।